



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, कालसी

Email:-
eepmgsykalsi@rediffmail.com
Tel:- 01360-275015

पत्र सं०: 675/22सी

दिनांक: 22/05/2018

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता,
यू०आर०आर०डी०ए०, प्रथम तल,
पंचायती राज निदेशालय, आई०टी०पार्क के सामने
सहस्रधारा रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.736 है० वनभूमि को गैरवानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को पत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता का पत्रांक 4010/12-1 दिनांक, चकराता 17- मई 2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/06/11/2018/एफ०सी०/98 दिनांक 16.04.2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण पर व्यय रु. 9,67,525.00 एवं एन०पी०वी० की धनराशि धनराशि रु. 11,40,552.00 मात्र जमा की जानी है।

कृपया उपरोक्त धनराशि शीघ्र जमा करने की कृपा करें ताकि मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न:- डिमाण्ड नोट की छायाप्रति।

for. (इं० बी०सी० पन्त)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०
लो०नि०वि०, कालसी
दिनांक: 22/05/2018

पत्र सं०: /

प्रतिलिपि:-

प्रतिलिपि:-

प्रतिलिपि:-

अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० मसूरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

श्री लोकेश कुमार वशिष्ठ सहायक अभियन्ता (चतुर्थ), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्री रवि कुमार गुरु कनिष्ठ अभियन्ता तहसील स्तर पर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरण करायें।

(इं० बी०सी० पन्त)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०
लो०नि०वि०, कालसी



कार्यालय प्रमाणीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-4010/12-1

दिनांक, चकराता 17-मई 2018

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0,
लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार, मुख्यालय-कालसी।

विषय- जनपद-देहरादून के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.736 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ - अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-3517 दि० 01.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण में संदर्भित पत्र से प्राप्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं०-8बी/UCP/06/11/2018/FC/98 दि० 16.04.2018 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त सं०-1 व 2 के अनुपालन में, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार देय धनराशियों का विवरण निम्नवत् है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण पर व्यय।	3.472 है०	2,78,665/-	9,67,525.00
2	एन०पी०वी०	1.736 है०	6,57,000/-	11,40,552.00

उक्त धनराशि का भुगतान सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त सं०-4 के अनुरूप करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रमाणीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-4010/12-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनाार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रमाणीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।